प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 27.01.2025

धोखाधड़ी व जालसाजी से 4,49,527 रुपये गबन करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ताल नेतृत्व में उ0नि0 राम सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 614/24 धारा 419,420,406,467,468,471,409 भादवि0 से संबंधित वांछित अभियुक्त विरेन्द्र कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण/पूछताछ:-

दिनांक 18.10.2024 को वादी मुकदमा की श्रीराम लाइफ इंश्योरेन्स कम्पनी में कार्यरत शाखा संचालक/अभियुक्त द्वारा धोखाधड़ी व जालसाजी से कम्पनी तथा ग्राहकों का 4,49,527 रुपये का गबन करने के संबंध में वादी मुकदमा से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र पारसनाथ मिश्रा निवासी म0नं0 329ए पुराना गोरखपुर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 614/24 धारा 419,420,406,467,468,471,409 भादवि0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 राम सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 विनीता वर्मा थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. कां0 दिनेश यादव थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर